बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग
ब्लॉक–सी, सरदार पटेल भवन, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800023
दूरभाष:0612 2294201 फैक्स:2294202, ई–मेल: secy-disastermgmt-bih@nic.in

पत्रांक–02 / स्था०प्र०आ०–22 / 2024 / 3956 / आ0प्र0 पटना–23, दिनांक– 04-11-2025

प्रेषक,

डॉ० चन्द्रशेखर सिंह, भा०प्र०से०
सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

विषय– **कार्तिक पूर्णिमा, 2025 के अवसर पर आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से की जाने वाली पूर्व तैयारियों के संबंध में।**

महाशय,

अवगत हैं कि इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा दिनांक–05.11.2025 को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर गंगा एवं गंडक सहित अन्य पवित्र नदियों एवं सरोवरों में भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान एवं पूजा–पाठ का कार्य करते हैं। कार्तिक स्नान हेतु दिनांक–04.11.2025 के अपराह्न से ही श्रद्धालुओं का नदी घाटों पर आगमन प्रारम्भ हो जाता है। नदी घाटों पर भारी संख्या में लोगों के एकत्रित होने के कारण डूबने एवं भगदड़ जैसी दुर्घटनाओं के घटित होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। अतः कार्तिक पूर्णिमा, 2025 के दौरान संभावित दुर्घटनाओं की रोक–थाम हेतु पूर्व तैयारी एवं सतर्कता की आवश्यकता है।

अतएव कार्तिक पूर्णिमा, 2025 के दौरान संभावित दुर्घटना / आपदा की रोक–थाम तथा आपदाओं के न्यूनीकरण के लिए निम्नानुसार पूर्व तैयारियाँ कर ली जाय :–

1. **नदी घाटों की बेरीकेडिंग**–
   खतरनाक नदी घाटों को चिन्हित करते हुए उनका व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए तथा उनकी बैरिकेडिंग इस प्रकार की जाए कि लोग अधिक पानी में न जा सकें। सभी नदी घाटों पर सुरक्षाबल तथा अन्य Volunteers की प्रतिनियुक्ति की जाए।
2. **चिकित्सा व्यवस्था**– इस अवसर पर किसी आकस्मिकता की स्थिति से निपटने एवं राहत तथा बचाव कार्य हेतु अस्पतालों में आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था के साथ–साथ सतर्क (alert) रहने की आवश्यकता है। आवश्यकतानुसार अतिरिक्त चिकित्सकों, पारा मेडिकल स्टॉफ सहित एम्बुलेंस की भी उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।
3. **गोताखोरों / मोटरबोट चालकों की प्रतिनियुक्ति** –
   सभी जिलों में तैराकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। साथ ही, बाढ़ प्रवण जिलों में इन्फ्लैटेबल मोटरबोट एवं देसी नाव उपलब्ध हैं। नदी घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा स्नान के दिन प्रशिक्षित गोताखोरों, तैराकों एवं बोट चालकों की प्रतिनियुक्ति लाईफ जैकेट / इन्फ्लैटेबल मोटरबोट / देसी नाव (जहाँ उपलब्ध हो) आदि के साथ की जाए। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित गोताखोर नावों / मोटरबोटों के साथ नदी के

अंदर कर्त्तव्यशील हो सकते हैं। प्रतिनियुक्त गोताखोरों एवं मोटरबोट चालकों के मानदेय का भुगतान विभागीय पत्रांक–4400/आ०प्र० दिनांक–26.12.2011 में दिए गए निदेश के अनुरूप किया जा सकता है। ऐसे प्रतिनियुक्त गोताखोरों को जैकेट भी दें ताकि उनकी पहचान हो सके।

4. **नदी घाटों के किनारे रौशनी की व्यवस्था –**
नदी घाटों पर अत्यधिक भीड–भाड़ होने की संभावना है। अतः ऐसे नदी घाटों के किनारे एवं रास्तों में पर्याप्त रौशनी की सुरक्षित तरीके से व्यवस्था की जाए। ताकि किसी आपात स्थिति से निपटा जा सके।

5. **कंट्रोल रूम का संचालन –**
कार्तिक पूर्णिमा के परिप्रेक्ष्य में कंट्रोल रूम का निर्बाध रूप से संचालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, आवश्यकतानुसार नदी घाटों के किनारे पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। सभी महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या इन कंट्रोल रूमों में उपलब्ध हों, इसे सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी अप्रिय घटना को नियंत्रित करने में सुविधा हो एवं सूचना तुरन्त जिला कंट्रोल रूम एवं राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र (SEOC), पटना को दी जा सके। Control Room से recorded advisory massage भी लगातार लाउड स्पीकर के माध्यम से भेजने चाहिए।

6. **कार्य योजना एवं कम्यूनिकेशन प्लान –**
कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आपदा प्रबंधन की दृष्टि से पूर्व से की गई तैयारी के संबंध में बैठक कर कार्य योजना एवं कम्यूनिकेशन प्लान तैयार कर ली जाए ताकि कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर आपदा की स्थिति उत्पन्न न हो।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाए।

विश्वासभाजन,

सचिव

ज्ञापांकः–02/स्था०प्र०आ०–22/2024/3956/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–04-11-2025
प्रतिलिपिः–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः–02/स्था०प्र०आ०–22/2024/3956/आ0प्र0 पटना–23, दिनांक–04-11-2025
प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से नावों का परिचालन नियंत्रित करने हेतु अपने स्तर से संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०—22 / 2024 / .... / आ0प्र0 पटना—23, दिनांक—

प्रतिलिपिः—पुलिस महानिदेशक, बिहार / अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग / प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग / सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग / स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०—22 / 2024 / 3956 / आ0प्र0 पटना—23, दिनांक—04-11-2025

प्रतिलिपिः—माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांकः—02 / स्था०प्र०आ०—22 / 2024 / 3956 / आ0प्र0 पटना—23, दिनांक—04.11.2025

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर / प्रभारी, SEOC, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव